उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-11/2290/26-1-2013-4(9)/2011

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2013

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री परितोष कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी द्वारा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण, जनकल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक वृद्धावस्था पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन में अपेक्षित रूचि न लेकर अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2527/26-1-2011-4(9)/2011, दिनांक 08-08-2011 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जाँच हेतु श्री आर0के0 सिंह, उपनिदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री परितोष कुमार को शासन के पत्र दिनांक 08-08-2011 द्वारा आरोप पत्र दिया गया।

2- श्री परितोष कुमार के पत्र दिनांक 20-12-2011 द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपवार लिखित उत्तर/साक्ष्य के सम्यक् परीक्षणोपरान्त जाँच अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-138/सक/उ0नि0आर0/2011-12, दिनांक 23-12-2011 द्वारा जाँच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। जाँच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी पर लगाये गये 02 आरोप में से आरोप संख्या-01 वृद्धावस्था पेंशन में 02 लाभार्थियों के पेंशन भुगतान में लापरवाही/शिथिलता बरतने तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वहन न करने के लिए आंशिक रूप से दोषी पाया गया।

3- उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10 के अंतर्गत जाँच अधिकारी की जाँच आख्या भेजते हुए शासन के पत्र संख्या-4407/26-1-2011-4(9)/2011, दिनांक 31-02-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी को तथ्यात्मक स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस दिया गया। अपचारी अधिकारी ने पत्र दिनांक 07-04-2012 द्वारा अभिकथन उपलब्ध कराया गया, जिसमें 02 पेंशनर्स श्रीमती पन्नू देवी पत्नी श्री हरिराम तथा श्रीमती परमी पत्नी श्री नन्दराम के नाम उनके अधीनस्थ स्टाफ अत्यन्त कम होने तथा कार्याधिक्य के कारण लिपिकीय त्रुटिवश छूट जाने का उल्लेख किया गया।

4- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन तथा संगत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर शासन स्तर पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री परितोष कुमार द्वारा समस्त पात्र लाभार्थियों की डाटा इंट्री तथा पेंशनर्स को पेंशन से संबंधित अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया। यदि श्री परितोष कुमार द्वारा कार्यालय द्वारा बनायी गयी पात्र वृद्धावस्था पेंशन की सूची का परीक्षण किया गया होता, तो पात्र लाभार्थियों के नाम छूटने से बचा जा सकता था। इस प्रकार श्री परितोष कुमार वृद्धावस्था पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के प्रति संवेदनहीनता बरतने, पदीय दायित्वों के सम्यक् निर्वहन में लापरवाही/उदासीनता बरतने के दोषी हैं। अतएव शासन स्तर पर सम्यक् निर्णयोपरान्त श्री परितोष कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड पर शासन के पत्र संख्या-1711/26-1-2011-4(9)/2011, दिनांक 03-10-2013 द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से मा0 आयोग की सहमति/अभिमत से शीघ्र अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-27(1)/5/एडीसी/एस-4/2012-13, दिनांक 18-07-

http://shasanadesh.up.nic.in

2013 द्वारा अपचारी अधिकारी की एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिए रोके जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतएव समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री परितोष कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी की एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिए रोकते हुए उक्त अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

के0राम मोहन राव
सचिव।

पृ0सं0-11/2290(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दण्डादेश को श्री परितोष कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी(सम्प्रति निलम्बित सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ) को तामील कराते हुए तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

3- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित करने हेतु।

4- श्री परितोष कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी सम्प्रति निलम्बित(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ)।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in